भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4817

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट द्वारा गैर-अनुपालना

4817. श्री के. अशोक कुमारः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट से यह स्पष्ट किया है कि गैर-अनुपालना बहुत महंगी पड़ेगी और कंपनियों का उपयोग गलत प्रयोजनों हेतु करने के खतरनाक कार्यों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पहले से ही 2,24 लाख कंपनियों को हटा लिया है जो लंबे समय से व्यवसाय नहीं कर रही थीं तथा ऐसी कंपनियों से संबंधित तीन लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य करार दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वैध व्यवसाय के लिए चीजों का सरलीकरण किया जा रहा है जबकि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवरोधों को मजबूत किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने उन कंपनियों को गंभीरता से लिया है जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार अपनी सांविधिक विवरणियों की फाइलिंग में गैर-अनुपालन किया है। इस अधिनियम की धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है जो कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती 2(दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.03.2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की गई है। उपर्युक्त 3,09,619 अयोग्य निदेशकों में से 2,10,116 अयोग्य निदेशक नाम काटी गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

(ग): सरकार ने अनुपालन न करने वाली कंपनियों के लिए उनकी लंबित सांविधिक विवरणियों की फाइलिंग को नियमित करने और अनुपालन करने हेतु दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए माफी योजना (सीओडीएस), 2018 की शुरुआत की है।

*****